बड़ौदा यू.पी. बैंक
Baroda U.P. Bank

क्षेत्रीय कार्यालय
अयोध्या, पोस्ट–साहेबगंज
जिला–अयोध्या–224001, उत्तर प्रदेश

सार्वजनिक बिक्री/ नीलामी सूचना
(अचल सम्पत्तियों हेतु)

अचल सम्पत्तियों के लिए सार्वजनिक नीलामी बिक्री सूचना

जबकि, बड़ौदा यूपी. बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफेसी अधिनियम 2002) (2002 का 54) एवं प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम 2002 की धारा 13(12) सपठित नियम 8(6) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित ऋणियों को एक मांग नोटिस जारी की गई थी तथा बंधक सम्पत्तियों पर कब्जा भी लिया गया है। इस सूचना के द्वारा सार्वजनिक रूप से जनसामान्य व ऋणी / बंधककर्ता / जमानतकर्ता को सूचित किया जाता है कि सम्बन्धित मामलों में बकाया धनराशि की वसूली हेतु नीचे दर्शायी गई सम्पत्तियों की बिक्री प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के निम्नलिखित विवरणानुसार बड़ौदा यूपी बैंक अयोध्या के ऋण खाते में बन्धक रखी हुई सम्पत्तियों की नीलामी **"जहाँ है जैसी है, जो है जैसी है, जो कुछ भी है"** के आधार पर नीलामी हेतु प्राप्त टेण्डरों में से सर्वाधिक राशि के टेण्डरों के पक्ष में की जायेगी।

जनसाधारण और विशेष रूप से कर्जदार (रों) और गारंटीदाता (ओं) / बंधककर्ता (ओं) को एतद्द्वारा दोबारा सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने सरफेसी अधिनियम, 2002 के अधीन निम्नांकित अचल सम्पत्तियों के लिए बोली / निविदाएं आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। इसलिए, इच्छुक व्यक्तियों / बोलीदाताओं को 23.01.2023 को या उससे पहले, बड़ौदा यू. पी. बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, अयोध्या में मुहरबन्द लिफाफे में, निम्नांकित नियम व शर्तों को पूरा करके अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। बोली 25.01.2023 को खोली जाएगी। बिक्री सूचना सरफेसी एक्ट के अधीन नियम 8(6) एवं 9(1) के अन्तर्गत वैधानिक चेतावनी है। उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभूति आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के सन्दर्भ में उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबन्धों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्र. सं.	ऋणी/बंधककर्ता का नाम	सम्पत्ति का विवरण/मालिक का नाम	मांग सूचना तिथि/ अधिग्रहण तिथि/ अधिग्रहण प्रकार	बकाया धनराशि (रू0)	आरक्षित मूल्य/ धरोहर राशि
शाखा: बंदीपुर शाखा, सम्पर्क– 783988428					
1.	मेसर्स श्री राजदेव सिंह एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी यूनिट राम बख्श सिंह स्मारक महाविद्यालय प्रबंधक अरिमा यादव अध्यक्ष श्री राजदेव सिंह उपाध्यक्ष श्री सुभाष चंद यादव	सम्पत्ति बंधक प्लॉट नं. 265 एम एवं 276 क्रमशः पंजीकृत सेल डीड सं. 2067/2012 दिनांक 18.07.2012 एवं 1017/2012 दिनांक 12.04.2012 स्थित ग्राम सकरा दक्षिण, परगना–सुरहुरपुर, तहसील– जलालपुर, जिला– अंबेडकरनगर, राम बख्श सिंह स्मारक महाविद्यालय के प्रबंधक उपाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र यादव, कुल, क्षेत्रफल– 9732.97 वर्ग मी0, **चौहद्दी: डीड के अनुसार प्लॉट नंबर 265 एम: पूर्व:** वीरेंद्र बहादुर एवं अन्य का प्लॉट, **पश्चिम:** जगदीश सिंह एवं अन्य का प्लॉट, **उत्तर:** वीरेंद्र बहादुर का प्लॉट, **दक्षिण:** राम बख्श सिंह स्मारक महाविद्यालय का प्लॉट **चौहद्दी: डीड के अनुसार प्लॉट नंबर 276: पूर्व:** राम नवल सिंह का प्लॉट, **पश्चिम:** चक मार्ग कच्चा एवं उसके बाद जगदीश सिंह का प्लॉट, **उत्तर:** राम नवल सिंह का प्लॉट, **दक्षिण:** चक मार्ग कच्चा एवं उसके बाद राम चेत एवं अन्य का प्लॉट	16.10.2019 22.12.2020 सांकेतिक कब्जा	रू. 63,78,979.00 + दिनांक 16.10.2019 से अप्रयुक्त ब्याज + अन्य खर्च	80,70,480.00 8,07,048.00
		सम्पत्ति बंधक प्लॉट नं. 1163 पंजीकृत सेल डीड संख्या 6805 दिनांक 06.09.2007 स्थित ग्राम–कनौसी, वार्ड –केसरी खेड़ा, पोस्ट –मानक नगर, जिला–लखनऊ, श्री रमाकांत त्रिपाठी एवं श्री पवनजय त्रिपाठी पुत्र श्री रमाकांत त्रिपाठी **कानूनी उत्तराधिकारी:** स्वर्गीय श्रीमती मैना त्रिपाठी पत्नी रमाकांत त्रिपाठी, कुल क्षेत्रफल– 1697.5 वर्ग फीट, **चौहद्दी: डीड के अनुसार: पूर्व:** अराजी दीगर, **पश्चिम:** कृष्ण की भूमि, **उत्तर:** रास्ता 10 फीट चौड़ा, **दक्षिण:** सर्वेश एवं सुनील का घर **चौहद्दी: साइट के अनुसार: पूर्व:** रास्ता एवं आगे तालाब का प्लॉट, **पश्चिम:** कृष्ण की भूमि, **उत्तर:** रास्ता एवं आगे नहर, **दक्षिण:** सर्वेश एवं सुनील का चक घर	16.10.2019 23.12.2020 सांकेतिक कब्जा		19,82,880.00 1,98,288.00
		सम्पत्ति बंधक मकान सं. 51 पंजीकृत सेल डीड संख्या 5334 दिनांक 31.12.2008 स्थित मौजा रोहिणी आवास योजना, परगना– हवेली अवध, तहसील–सदर, जिला–अयोध्या, श्रीमती शारदा सिंह पत्नी श्री प्रेम नाथ सिंह के नाम, कुल क्षेत्रफल– 53.10 वर्ग मी0, **चौहद्दी: डीड एवं साइट के अनुसार: पूर्व:** 4.5 मीटर रोड, **पश्चिम:** अन्य भूमि, **उत्तर:** रास्ता 10 फीट चौड़ा, **दक्षिण:** मकान सं. ई–50			20,73,336.00 2,07,333.60
शाखा: पंथर शाखा, सम्पर्क– 7839884349					
2.	मेसर्स सेठ ट्रेडर्स प्रो. अरविंद मोहन एवं श्री अरविंद मोहन	सम्पत्ति बंधक मकान संख्या 39, पंजीकृत सेल डीड संख्या 4165 दिनांक 22.03.2010 ग्राम भैरवपुर पोस्ट महबूबगंज फैजाबाद (अयोध्या), एम. एस. सुशीला देवी पत्नी अनिल कुमार सोनी, क्षेत्रफल– 1080 वर्ग फीट, **चौहद्दी: डीड के अनुसार: पूर्व:** रास्ता खडंजा 5 फीट चौड़ा, **पश्चिम:** वीरेंद्र जी का प्लॉट, **उत्तर:** पीर मोहम्मद का घर, **दक्षिण:** सत्य प्रकाश एवं अन्य का प्लॉट	12.11.2019 03.09.2021 सांकेतिक कब्जा	रू. 10,59,268.00 + दिनांक 01.11.2019 से अप्रयुक्त ब्याज + अन्य खर्च	17,25,075.00 1,72,507.50
शाखा: फैजाबाद मुख्य शाखा, सम्पर्क– 7839884297					
3.	श्रीमती राज मणि पाण्डेय उर्फ मुन्नी पाण्डेय पत्नी श्री सीता राम पाण्डेय	संपत्ति/भूमि के साम्यिक बंधक का संपत्ति बंधक, प्लॉट संख्या 04 मिन, मकान संख्या 8/10/81, सेल डीड संख्या 2096 दिनांक 15.05.2009 क्षेत्रफल– 81 वर्गफीट स्थित ग्राम–जनौरा–हनुमत नगर, परिक्रमा मार्ग का एल/एस, चौक से नाकस रोड से मोघा परगना–हवेली अवध, तहसील– सदर, जिला– अयोध्या (फैजाबाद), श्रीमती राज मणि पाण्डेय उर्फ मुन्नी पाण्डेय पत्नी श्री सीता राम पाण्डेय के नाम, **चौहद्दी: (डीड के अनुसार) पूर्व:** सीता राम पाण्डेय, **पश्चिम:** श्री जगदीश की दुकान, **उत्तर:** सड़क (नाका से मोघा), **दक्षिण:** श्री सीता राम पाण्डेय का घर	23.05.2017 20.09.2017 सांकेतिक कब्जा	रू. 5,73,010.00 + दिनांक 31.12.2019 से अप्रयुक्त ब्याज + अन्य खर्च	2,52,225.00 25,222.50
4.	मेसर्स शुभम मेन्स एंड किड्स वियर प्रोपराइटर श्री रवि शंकर यादव स्वर्गीय माधुरी देवी के वंशज	संपत्ति/भूमि के साम्यिक बंधक का संपत्ति बंधक, प्लॉट संख्या 512 मिन, मकान संख्या 4/3/44, सेल डीड संख्या 2087 दिनांक 13.06.1994 क्षेत्रफल– 440 वर्ग फीट, स्थित आवासीय क्षेत्रफल– नवघरा, आर/एस परिक्रमा मार्ग पर अफीम कोठी के पास, परगना–हवेली अवध, तहसील–सदर, जिला– अयोध्या (फैजाबाद), श्री रवि शंकर यादव के नाम, **चौहद्दी: (डीड के अनुसार) पूर्व:** श्री जगरूप एवं अन्य का घर, **पश्चिम:** गली, **उत्तर:** खाली प्लॉट, **दक्षिण:** गली	22.07.2021 21.10.2021 सांकेतिक कब्जा	रू. 10,48,225.00 + दिनांक 30.08.2021 से अप्रयुक्त ब्याज + अन्य खर्च	7,79,787.00 77,978.70
शाखा: संतनगर नवगांव शाखा, सम्पर्क– 7839884362					
5.	मेसर्स पाण्डेय खाद भंडार प्रो. श्री अरुण कुमार पाण्डेय पुत्र श्री दिनेश कुमार पाण्डेय एवं श्री अरुण कुमार पाण्डेय	संपत्ति बंधक प्लॉट संख्या 238, मौजा– अंजरौली परगना–खंडासा तहसील–मिल्कीपुर जिला– अयोध्या, दिनांक 12.06.2008 को पंजीकृत सेल डीड संख्या 1640 स्थित प्लॉट संख्या 238, मौजा–अंजरौली परगना–खंडासा तहसील–मिल्कीपुर जिला– अयोध्या, श्रीमती राजकुमारी पत्नी श्री दिनेश कुमार पाण्डेय के नाम, क्षेत्रफल 0.099 (हेक्टेयर में), **चौहद्दी: डीड के अनुसाररू पूर्व:** चक मार्ग फिर राम नेवाज का प्लॉट, **पश्चिम:** दयाराम का खेत, **उत्तर:** लल्ला देवी का खेत, **दक्षिण:** रोड मिल्कीपुर से अमानीगंज, **चौहद्दी: साइट के अनुसार: पूर्व:** नाली फिर राम नेवाज का घर, **पश्चिम:** राजकुमारी का प्लॉट, **उत्तर:** राजकुमारी का प्लॉट, **दक्षिण:** रोड मिल्कीपुर से अमानीगंज	10.12.2019 17.02.2021 सांकेतिक कब्जा	रू. 7,37,095.17 + दिनांक 10.12.2019 से अप्रयुक्त ब्याज + अन्य खर्च	35,28,717.00 3,52,871.70
शाखा: अयोध्या, मो0– 7839884281					
6.	मेसर्स कंचन इन्टरप्राइजेज प्रोप. श्री कृष्ण मोहन उपाध्याय	प्लॉट सं. 639मिन का साम्यिक बंधक, सेल डीड सं. 3810, दिनांक 19.09.2007, क्षेत्रफल– 32.02 x 42.50 = 1361 वर्ग फिट = 126.48 वर्ग मी. स्थित ग्राम–गंझा बरहटा, पोस्ट–अयोध्या, परगना–हवेली अवध, तहसील–सदर, जिला–अयोध्या **चौहद्दी: (डीड के अनुसार) पूर्व:** संत गोपाल दास के मकान के पहले 10 फीट सड़क, **पश्चिम:** पवन कुमार सिंह का प्लॉट, **उत्तर:** रामोज चतुर्वेदी का प्लॉट, **दक्षिण:** गणेश दास का प्लॉट **मालिक–** स्व0 नीला देवी पत्नी श्री सतेन्द्र कुमार उपाध्याय, **कानूनी वारिस–** 1. श्री विश्व मोहन उपाध्याय पुत्र स्व0 सतेन्द्र कुमार उपाध्याय, 2. राम मोहन उपाध्याय पुत्र स्व0 सतेन्द्र कुमार उपाध्याय, 3. कुमारी अवध बिहारी पुत्री स्व0 सतेन्द्र कुमार उपाध्याय, 4. कुमारी जनक किशोरी पुत्री स्व0 सतेन्द्र कुमार उपाध्याय, 5. कुमारी राम किशोरी पुत्री स्व0 सतेन्द्र कुमार उपाध्याय	08.12.2021 20.04.2022 सांकेतिक कब्जा	रू. 10,28,863.80 + दिनांक 01.04.2018 से अप्रयुक्त ब्याज + अन्य खर्च	15,86,498.00 1,58,649.80
शाखा: नसीरपुर, मो0– 7839884342					
7.	मेसर्स सुजीत कुमार प्रो0 श्री सुजीत कुमार	सम्पत्ति/भूमि प्लॉट सं. 348 का साम्यिक बंधक, सेल डीड सं. 3069/1994, दिनांक 25.11.1994, क्षेत्रफल– 0.054 हेक्ट, ग्राम– गोपीपुर, पोस्ट– सुभाकरपुर, परगना– अकबरपुर, तहसील– भीटी, जिला– अम्बेडकरनगर, **मालिक–** श्री राम जानकी पुत्र श्री माता बदल **चौहद्दी: पूर्व:** कोलेसर का प्लॉट, **पश्चिम:** चक रोड, **उत्तर:** रतोश्याम का प्लॉट, **दक्षिण:** मल्लू का प्लॉट	18.09.2021 16.12.2021 सांकेतिक कब्जा	रू. 5,16,645.31 + दिनांक 31.03.2021 से अप्रयुक्त ब्याज + अन्य खर्च	19,33,155.00 1,93,315.50
शाखा: हुसेनपुर खुर्द, मो0– 7839884305					
8.	मेसर्स राहुल ईंट उद्योग प्रोप श्री राहुल पटेल	प्लॉट सं. 477 का साम्यिक बंधक, सेल डीड सं. 2231/2013, दिनांक 02.09.2013, क्षेत्रफल– 440 वर्ग मी स्थित ग्राम–नरियांव पोस्ट– नरियांव, परगना–अतसेलिया, तहसील–आलापुर, जिला–अम्बेडकर नगर, **चौहद्दी: (डीड के अनुसार) पूर्व:** फैयाज एहमद का प्लॉट, **पश्चिम:** कृष्ण एवं अन्य का प्लॉट, **उत्तर:** किरायेदार (राम नारायण वर्मा) के प्लॉट का बचा हुआ भाग, **दक्षिण:** चक मार्ग (खरजा रास्ता) व उसके बाद इन्द्रसेन का प्लॉट **मालिक–** श्री राहुल पटेल, **कानूनी वारिस–** रामनारायण वर्मा (पिता)	01.02.2021 09.09.2021 सांकेतिक कब्जा	रू. 5,58,865.00 + दिनांक 01.09.2019 से अप्रयुक्त ब्याज + अन्य खर्च	14,86,880.00 1,49,688.00
9.	मेसर्स द्विवेदी खाद भंडार प्रोप श्री संतोष कुमार दूबे	प्लॉट सं. 481 का साम्यिक बंधक, सेल डीड सं. 120/2011, दिनांक 20.01.2011, क्षेत्रफल– 79 वर्ग मी स्थित ग्राम–मौजा मादरमऊ पोस्ट–मादरमऊ, परगना–बिरहर, तहसील–आलापुर, जिला–अम्बेडकर नगर **चौहद्दी: (डीड के अनुसार) पूर्व:** राम अचल का प्लॉट, **पश्चिम:** जहांगीरगंज से राम बाग रोड, **उत्तर:** राम अवध एवं अन्य का प्लॉट, **दक्षिण:** ईश्वर सहाय का बचा हुआ प्लॉट **मालिक–** ईश्वावती देवी पत्नी अद्दया प्रसाद, **कानूनी वारिस–** संतोष कुमार दूबे एवं राजेश	20.09.2021 15.12.2021 सांकेतिक कब्जा	रू. 5,41,552.00 + दिनांक 01.09.2019 से अप्रयुक्त ब्याज + अन्य खर्च	5,20,630.00 52,063.00

बिक्री के नियम एवं शर्तें: 1. इच्छुक बोलीदाताओं को मुहरबन्द लिफाफे में अपनी बोली जमा करनी है। (लिफाफे के ऊपर स्पष्ट और पठनीय बोली क्रम सं. एवं प्रकाशन की तिथि वर्णित होनी चाहिए। 2. बोलीदाताओं को बोली के साथ अग्रिम में अयोध्या में देयोग्य एवं प्राधिकृत अधिकारी, बड़ौदा यू. पी. के पक्ष में डीडी / चेक / A/C Pay के रूप में जमा धरोहर राशि के रूप में आरक्षित मूल्य का 10% जमा / संलग्न करना होगा। सर्वोच्च बोली मूल्य (आरक्षित मूल्य से कम की नहीं होनी चाहिए) को सफल बोलीदाता के रूप में माना जाएगा। और शेष असफल बोलीदाताओं की ईएमडी एक सप्ताह के अन्दर बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी। 3. सफल बोलीदाता को डीडी / चेक / A/C Pay के रूप में अगले दिन बोली रकम (ईएमडी को छोड़कर) का 15% जमा करना होगा और शेष अनिवार्य रूप से बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के अन्दर जमा करना होगा, अगर वे ऐसा नहीं करते है तो उनके द्वारा पूर्व में जमा की गयी रकम जब्त कर ली जाएगी। 4. प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताये या पूर्व सूचना दिये बोली / सर्वोच्च बोली को स्वीकार / अस्वीकार / रद्द / निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। प्राधिकृत अधिकारी बिक्री / नीलामी की तिथि को बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। 5. प्राधिकृत अधिकारी किसी भी प्रकार के बकाया प्रभारों / देनदारियों / भार / करों / सरकारी बकायों और अन्य पक्ष के दावों व बकायों के लिए जवाबदेह नहीं होंगे। 6. सम्पत्ति को आरक्षित मूल्य से कम में किसी भी रकम पर बेचा नहीं जाएगा। सफल बोलीदाता को सभी स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क का भुगतान स्वयं करना होगा। 7. यदि ऐसा पाया जाता है कि दो या अधिक बोलीदाताओं की एक समान बोली रकम है तो प्राधिकृत अधिकारी उनके मध्य पुनः नयी बोली आमंत्रित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। 8. बोली / बिक्री बैंक की पुष्टि के अधीन होगी। सम्पत्ति को **"जैसा है जहां है", "जैसा है जो कुछ है"** और **"वहां जो कुछ भी है"** आधार पर बेचा जा रहा है। 9. अगर कोई कर्जदार / गारंटीदाता / बंधककर्ता नीलामी से पहले बैंक को पूर्ण बकाये का भुगतान कर देता है तो नीलामी को रोक दिया जाएगा अतः कर्जदार / गारंटीदाता / बंधककर्ता के पास नीलामी से पूर्व प्रतिभूत आस्तियों को निर्गत करने का अवसर होगा जो प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 की धारा 13 की उप – धारा (8) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन संशोधन नियमों 2002 द्वारा) के अधीन बकाया पूर्ण राशि एवं प्रभारों के भुगतान के अधीन होगा। 10. यह बोलीदाताओं की एकमात्र जिम्मेदारी है कि वे सम्पत्तियों के संबंध में संतुष्ट एवं पुष्ट हो लें। वे अपराह्न 2:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक किसी भी कार्यदिवस पर संबंधित शाखा से समय लेकर सम्पत्ति को देख कर निरीक्षण कर सकते हैं। 11. यह बिक्री नोटिस कर्जदारों / गारंटीकर्ता (ओं) / बंधककर्ता (ओं) के लिए विशेष रूप से तथा जनता / सर्वसाधारण के लिए सामान्तर रूप से है। 12. बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया प्रतिभूत लेनदारों की वेबसाइट में प्रदान किए गये लिंक यानि **https://www.barodaupbank.in/sarfesinotice.php** देखें।

सरफेसी अधिनियम 2002 के अधीन 15 दिनों की बिक्री सूचना

कर्जदारों / गारंटीदाताओं / कानूनी वारिसों / बंधककर्ता (ओं) को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि नीलामी से पूर्व बैंक को उपरोक्त वर्णित सभी बकाये का भुगतान करें, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो बंधक सम्पत्ति को वर्णित तिथि को बेच दिया जाएगा और अगर कोई अन्य बकाया शेष होगा तो ऐसे उचित ब्याज, प्रभारों एवं व्यय के साथ उनसे वसूल किया जाएगा।

प्राधिकृत अधिकारी, बड़ौदा यू.पी. बैंक, अयोध्या

दिनांक: 03.01.2023 स्थान: अयोध्या